FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू) .... मुकाम

श्योचन्द .... बनाम सरकार

...ना प्रार्थनापत्र .... नं. 176 .... सन् 2019

तारीख	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
...9	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act का कार्यालय रिपोर्ट हो कर पेश हुआ। अवलोकन किया। दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट ली जाकर मिसल दिनांक 26.7.19 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	
26/7/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित श्रीमान एस.डी.ओ. साहब मुख्यालय से बाहर हैं मिसल दिनांक 11.9.19 को पेश हों [signature]	
...9/19	अभिभाषक... [illegible] रखा है मिसल दिनांक 18.9.19 को पेश हो। [signature]	
18/9/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित श्रीमान एस.डी.ओ. साहब स्थानान्तरण। पर पधार चुके हैं। मिसल दिनांक 23-10-19 को पेश हो। [signature]	
23/10/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित श्रीमान एस.डी.ओ. साहब स्थानान्तरण पर पधार चुके हैं। मिसल दिनांक 22.11.19 को पेश हो। [signature]	
22/11/19	वकील पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त है मिसल दिनांक 27.12.19 को पेश हो। [signature]	
27/12/19	वकील पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त है मिसल दिनांक 17.2.20 को पेश हो। [signature]	
...2/20	वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act का इस आशय का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण
	पेश किया कि कृषि भूमि खसरा नं० 15, 58, 496, 513 कुल तादादी 12.7476 हैक्टेयर वाके रोही ढिंगारला तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 8/21 भूलवंश गलत दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का उक्त विवादित कृषिभूमि मे 1/2 हिस्सा है। प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में हक त्याग पत्र का नामान्तरकरण अपने व अपने भतीजों के हक में करवाने हेतु हल्का पटवारी को दिया तो लिपिकीय भूलवंश प्रार्थी के 1/2 हिस्सा के स्थान पर 8/21 हिस्सा दर्शा कर नामान्तरकरण राजस्व अभिलेख में अमल दरामद भूलवंश कर दिया गया। प्रार्थनापत्र के समर्थन में जमाबन्दी, हकत्याग पत्र की छाया प्रति पेश कर विवादित कृषि भूमि में हिस्सा शुद्ध किये जाने का अनुतोष चाहा गया।
	प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जा कर तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट ली गई। मुताबिक जाँच रिपोर्ट प्रार्थी की सगी बहनो द्वारा 5/7 हिस्सा हकत्याग किया जो नामान्तरकरण सं. 1609 में 1/2 के स्थान पर 8/21 दर्ज हुआ जबकि 1/2 हिस्सा सही दर्ज किया जाना था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड, तहसीलदार राजगढ़ की जाँच रिपोर्ट व प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नं० 15, 58, 496, 513 कुल तादादी 12.7476 हैक्टेयर वाके रोही ढिंगारला तहसील राजगढ़ जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का गलत हिस्सा 8/21 के स्थान पर सही 1/2 हिस्सा शुद्ध किया जावे। तदनुसार दुरूस्ति हेतु तहसीलदार राजगढ़ को लिखा जावे। पालना करवाई जावे। मिसल फैसल शुमार हो कर दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)